## <u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

### <u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 367/2016</u> संस्थित दिनांक 05.07.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी

<u> –अभियोगी</u>

### वि रू द्व

मदन पिता सिकदार भिलाला, आयु 30 वर्ष, पेशा—छोती, मजदूरी, निवासी—ग्राम कुण्डिया, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

<u>–अभियुक्त</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री आर. के. श्रीवास

# —: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 10—08—2016 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 186/2016 में भादिव की धारा 457, 354 के अंतर्गत आरोप इस आधार पर है कि उसने घटना दिनांक 03.06.2016 को फरियादिया के निवास स्थान ग्राम नया नगर, सेगवाल, ठीकरी में अपराध कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्नगृह अतिचार कारित किया और फरियादिया जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी किया गया है तथा फरियादिया आरोपी को जानती है व फरियादिया ने आरोपी से राजीनामा बाबत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2016 पेश किया, किन्तु राजीनामा योग्य अपराध नहीं होने से न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को राजीनामा करने की अनुमति नहीं दी।
- 03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2016 को फरियादिया ने थाना ठीकरी पर आकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि वह ग्राम नया नगर, सेगवाल में रहती है, उसका पित ड्राईवरी करता है, आरोपी 2—3 बाद उसके पित के साथ घर आया था, इसलिए वह उसे पहचानती है। दो दिन पहले उसका पित बाहर गया था, आरोपी ने उससे खाना मांगा तो उसने खाना खिलाया, बाद में आरोपी चला गया, वह और उसके बच्चे खाना खाकर सो गए थे, रात्रि करीब 10 बजे आरोपी चूपके से उसके घर में घूसा और उसे बूरी नीयत से पकड़ लिया

तथा उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा, वह चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा दिया, फिर वह छूटकर पड़ोसी नरिसंह के घर चली गई तथा नरिसंह को घटना बताई, बाद में आरोपी वहां से भाग गया तथा दूसरे दिन वह उसके पित धनिसंह व ससुर रूपिसंह को मोबाईल से घटना बताई और अपने पित को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने आई। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध कमांक 186/2016 अंतर्गत धारा 457, 354 भादिव का दर्ज कर फरियादी, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 457, 354 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूटा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

#### 05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 03.06.2016 को समय करीब 10 बजे रात्रि में फरियादिया के घर नया नगर सेगवाल, ठीकरी में अपराध कारित करने के आशय से, सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
ब	क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

### विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

- **06** साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होने से, सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।
- 07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादिया रूकमाबाई (अ.सा.—1) ने कोई कथन नहीं किया है। साक्षी का केवल इतना कथन है कि डेढ़ माह पहले उसका पित बाहर ड्राईवरी करने गया था, तब आरोपी उसके घर में आया और उसने घर से बाहर निकलकर गाली—गलौज की और उसने उसके पित धनिसंह के आने पर उसे घटना बताई थी और पित को साथ लाकर थाने पर उसके पित ने रिपोर्ट की थी। साक्षी को प्रपी—1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए जाने पर भी उसके द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट लिखाए जाने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर

सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर के अंदर घूस आया था तथा उसके साथ लज्जा भंग करने का अपराध कारित किया है, लेकिन साक्षी ने प्रपी—1 की रिपोर्ट एवं प्रपी—3 के पुलिस कथन में उक्त बातें पुलिस को बताने से स्पष्ट इन्कार किया है। साक्षी ने यह अवश्य स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त को बचाने के लिए वह असत्य कथन कर रही है।

- 08— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाने पर रिपोर्ट उसके पित और अन्य व्यक्तियों ने लिखाई थी, उसने नहीं लिखाई थी। उसने अपने पित और ससुर को आरोपी द्वारा घर में घूसकर उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ने की बात भी नहीं बताई थी।
- 09— अभियोजन साक्षी आर. के. सोलंकी (अ.सा.—2) ने दिनांक 05.06.2016 को फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ठीकरी पर अपराध कमांक 186/2016 अंतर्गत धारा 457, 354 भादवि का प्रपी—1 का दर्ज करने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और साक्षी बलवंतिसंह के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने रिपोर्ट प्रपी—1 फरियादिया के पित धनसिंह के कहे अनुसार लिखी थी अथवा फरियादिया ने उसे प्रपी—1 की रिपोर्ट में ए से ए भाग वाली बात नहीं बताई थी।
- 10— प्रकरण में राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं। ऐसी स्थित में फरियादिया स्वयं पक्ष विरोधी रही है और उसने अभियुक्त द्वारा उसके घर के अंदर घूसकर तथा छेड़खानी करने के बारे में कोई कथन नहीं किए गए हैं, ऐसी स्थिति में, जबिक स्वयं फरियादिया ने ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और अभियुक्त के विरूद्ध उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध भादिव की धारा 457, 354 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 11— अतः अभियुक्त मदन पिता सिकदार, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डिया, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 457, 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्त गिरफ्तारी दिनांक से ही अभिरक्षा में है, अतः उसका रिहाई आदेश जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बड़वानी को इस टीप के साथ जारी किया जावे कि यदि अन्य प्रकरण में अभियुक्त की आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

- 13— अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
- 20- प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला बडवानी, म.प्र. सही / – (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

Steno/S.Jain